न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
35 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	12.06.2024	03.01.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री जिनेन्द्र जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन निवासी श्रीमालों का मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री सन्मति ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड —304502 मोबाईल नं. 9414868909।

2—मैसर्स श्री सन्मति ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड —304502

3—श्री राजेश वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा निवासी 9 / ई / 213 इन्द्रा गांधी नगर जयपुर राज0 प्रबंधक मैसर्स गोयल मार्केटिंग 3784 सालासर प्लाजा 5 कॉसिंग, दीनानाथ जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर राज0। पिनकोड—302001

4—मैसर्स गोयल मार्केटिंग 3784 सालासर प्लाजा 5 कॉसिंग, दीनानाथ जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर राज0। पिनकोड—302001

5—श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता निवासी राजपायगा रोड, नया बाजार, लश्कर, गवालियर गिर्द, ग्वालियर, मध्यप्रदेश पार्टनर मैसर्स श्री राम मिल्क फूड डेयरी इण्डस्ट्रीज 329, 3 फ्लोर, पिंक सिटी टॉवर, पीतल फैक्ट्री, झोटवाडा रोड जयपुर राज0। पिनकोड—302016

6—मैसर्स श्री राम मिल्क फूड डेयरी इण्डस्ट्रीज 329, 3 फ्लोर, पिंक सिटी टॉवर, पीतल फैक्ट्री, झोटवाडा रोड जयपुर राज0। पिनकोड—302016

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थीगण श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश वर्मा एवं श्री सर्वेश दुबे उपस्थित।

:—निर्णय—: दिनांक 03/1/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2023 को समय 12:45 पी.एम. पर मैसर्स श्री सन्मति ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रता की हैसियत से श्री जिनेन्द्र जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्री सन्मति ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री जिनेन्द्र जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जिनेन्द्र जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी मसाले के साथ—साथ दुकान में कागज के 8 कार्टून

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

में लगभग 72 पैकेट मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक एवं 90 पैकेट मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 लीटर पैक **घी (एसआरएमआई मिल्क कीम ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री जिनेन्द्र जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री जिनेन्द्र जैन करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी (एसआरएमआई मिल्क कीम ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में कागज के 8 कार्टून में लगभग 72 पैकेट मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक एवं 90 पैकेट मूल पैक पैक्ड अवस्था में **घी (एसआरएमआई मिल्क कीम ब्राण्ड)** के बैच नम्बर एसआरएमआई 04 एवं पैकिंग की दिनांक 22.08.2023 थी, में से ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 एम.एल. पैक 4 पैकेट मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 एम.एल. पैक 4 पैकेट मूल पैक **घी (एसआरएमआई मिल्क कीम ब्राण्ड)** ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियामनुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3800 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3800 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की। शेष बचे खाद्य पदार्थ घी एसआरएमआई मिल्क कीम ब्राण्ड कुल मात्रा 126 लीटर को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर श्री जिनेन्द्र जैन की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री जिनेन्द्र जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री सन्मति ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स गोयल माार्केटिंग 3784 सालासर प्लाजा 5 कॉसिंग, दीनानाथ जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर राज0 का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना अवगत कराया। मैसर्स गोयल माार्केटिंग 3784 सालासर प्लाजा 5 कॉसिंग, दीनानाथ जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर को पत्र प्रेषित करने पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री राम मिल्क फूड डेयरी इण्डस्ट्रीज 329, 3 फ्लोर, पिंक सिटी टॉवर, पीतल फैक्ट्री, झोटवाडा रोड जयपुर राज0 का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1093 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस/4457/एक्ट/2023/4495 दिनांक 07.11.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **घी (एसआरएमआई मिल्क**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

क्रीम ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओ के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश वर्मा एवं कम्पनी के प्रतिनिधि श्री सर्वेश दुबे उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (एसआरएमआई मिल्क क्रीम ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त घी में Foreign Fat उपस्थित मिला है व अन्य 2 मानकों पर भी खरा नहीं उतरता है। उक्त **घी (एसआरएमआई मिल्क क्रीम ब्राण्ड)** जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (एसआरएमआई मिल्क क्रीम ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/-(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह जब्तशुदा घी को निस्तारित करने की कार्यवाही करे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0